संख्याः-9/2024/भा0स0-06/78-1-2024-1099/35/2023

प्रेषक,

दुर्गा शंकर मिश्र,
मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
नगर विकास विभाग, लोक निर्माण विभाग, वन एवं पर्यावरण विभाग, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, पंचायती राज विभाग, ग्राम्य विकास विभाग, गृह विभाग, ऊर्जा विभाग, राजस्व विभाग, सिंचाई विभाग एवं ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग, उ0प्र0 शासन।

आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1 लखनऊः दिनांकः 05 फरवरी, 2024

विषयः प्रदेश में ग्राम पंचायतों/ गांवों में इन्टरनेट कनेक्टविटी के लिए डाली गयी आप्टिकल फॉइबर केबल के अनुरक्षण के संबंध में।

महोदय,

अपर सचिव एवं प्रशासक,सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि, दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र सं0-30-705/USOF/BharatNet/ O&M/28, दिनांक 09-01-2024(**छायाप्रति संलग्न**) का कृपया अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से अवगत कराया गया है कि नेशनल ऑप्टिकल फाइबर परियोजना के तहत ग्राम पंचायतों/गांवों में इन्टरनेट कनेक्टिविटी लिए डाली गयी आप्टिकल फॉइबर केबल के रख-रखाव (केबल डालने/बदलने) से कार्यदायी संस्था को रोका जा रहा है।

2. इस संबंध में अवगत कराना है कि सभी ग्राम पंचायतों/गांवों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए भारतनेट योजना चरणबद्ध तरीके से देश में लागू की जा रही है। इस योजना के चरण-I और चरण-II के तहत अब तक 2,08,961 ग्राम पंचायतें जुड़ चुकी हैं। बीएसएनएल को संचालन और रख-रखाव (ओ एंड एम) और भारतनेट नेटवर्क के उपयोग के लिए जिम्मेदार एजेंसी नामित किया गया है। बीएसएनएल ने उपरोक्त चरणों के ऑप्टिकल फाइबर के ओ एंड एम का काम राज्यों/सर्कल में विभिन्न रखरखाव एजेंसियों को सौंपा है, और ये एजेंसियां ऑप्टिकल केबल, उपकरण आदि की बहाली/मरम्मत का काम कर रही हैं। शासन के संज्ञान में लायी गया है कि राज्य की विभिन्न RoW एजेंसियां भारत नेट के ओएंडएम कार्य की अनुमति नहीं दे रही हैं और नई RoW की मंजूरी मांगी जा रही हैं।

3. आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या-880/78-1-2013-81इले0/ 98 दिनांक 19-09-2013 (**छायाप्रति संलग्न**) द्वारा विभिन्न सरकारी विभागों के स्वामित्व में पड़ने वाली भूमि की खुदाई के पूर्व विभिन्न स्तरों से अनुमति प्राप्त करने की जटिलताओं को देखते हुए प्रदेश सरकार द्वारा भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लि0, जोकि प्रोजेक्ट की इम्प्लीमेंटेशन एजेन्सी है, को प्रदेश सरकार के अधीन विभिन्न संस्थानों से परियोजना अवधि

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

में पुनः अनुमति न लेनी पड़े, इस हेतु ब्लैंकिट अप्रूवल प्रदान किया गया है, इसके अंतर्गत ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने हेतु निःशुल्क अनुमति एवं अधिकार (ROW) का होगा तथा कोई भी Reinstatement शुल्क नहीं लिया जायेगा।

4. आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के उक्त शासनादेश दिनांक 19-09-2013 में यह भी व्यवस्था है कि ग्राम पंचायत तक ऑप्टिकल फाइवर केबिल बिछाने से संबंधित समस्त कार्यवाही भारत ब्राडबैण्ड नेटवर्क लि0 (BBNL) द्वारा की जायेगी। भारत ब्राडबैण्ड नेटवर्क लि0 द्वारा रीइन्स्टेटमेंट का कार्य इस भाँति किया जाएगा कि सड़क के किनारे खोदी गयी सतह भरसक उसकी मूल स्थिति में ले आई जाये। सड़क की कटान को बचाने के लिए यथाशक्ति प्रयास किया जाएगा। पक्की सड़क को पार करने के लिए एच0डी0 अथवा होरिजेंटल बोरिंग का प्रयोग किया जाएगा, ताकि सड़क को होने वाली क्षति को कम से कम किया जा सके।

5. अवगत कराना है कि लोक निर्माण विभाग द्वारा पूर्व में निर्गत अपने शासनादेश सं0-283/2022/सा0-2802/23-1-2022-69सा0/20टीसी-2, दिनांक 14 सितम्बर, 2022 के क्रम में प्रदेश में रोड कटिंग किये जाने के संबंध में शासनादेश सं0-23-1099/38/2023, दिनांक 25-7-2023 (**छायाप्रति संलग्न**) निर्गत कर दिया गया है। उक्त शासनादेश के प्रस्तर-3(1) निम्नवत् उल्लेख किया गया है:-

3(1) ग्राम पंचायत स्तर पर प्रदेश में ब्राडबैण्ड कनेक्टिविटी हेतु आप्टिकल फॉइबर फाईबर केबिल बिछाने हेतु स्पेशल पर्पज वैहिकिल के रूप में भारत ब्राडबैण्ड नेटवर्क लिमिटेड (बी0बी0एन0एल0) चयनित कार्यदायी संस्था हैं। ग्राम पंचायतों में नेशनल फाईबर आप्टिकल स्थापित किये जाने हेतु, बी0बी0एन0एल0 द्वारा लोक निर्माण विभाग के स्वामित्व में पड़ने वाली भूमि की खुदायी एवं रोड की कटिंग किये जाने की दशा में आई0टी0 एवं इले0 विभाग के शासनादेश संख्या-880/78-1-2013-81 इले0/98, दिनांक-19-09-2013 के प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

6. अस्तु, इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के आदेश संख्या-880/78-1-2013-81इले0/98, दिनांक 19-09-2013 एवं लोक निर्माण अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-1/355462/2023-23-1099/38/2023, दिनांक 25-7-2023 के दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यवाही करने हेतु अपने अधीनस्थ संबंधित संस्थाओं एवं अधिकारियों को यथोचित निर्देश निर्गत करने का कष्ट करें, ताकि प्रदेश के ग्राम पंचायतो में इन्टरनेट कनेक्टिविटी के लिए डाली गयी ऑप्टिकल केबल के अनुरक्षण का कार्य सुचारु रूप से किया जा सके।

संलग्नक: यथोक्त।

भवनिष्ठ,

दुर्गा शंकर मिश्र

मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

पृष्ठांकन संख्या-9/2024/भा0स0-06(1)/78-1-2024-1099/35/2022 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1-समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0।

2-निजी सचिव, सचिव, दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।

3-निजी सचिव, अपर सचिव एवं प्रशासक,सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि, दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र सं0-30-705/USOF/BharatNet/O&M/28, दिनांक 09-01-2024 के क्रम में ।

4-प्रधान महाप्रबन्धक, भारतनेट, भारत संचार निगम लि0, लखनऊ को उनके पत्र सं0-UPE/PGM(BharatNet)/Gen-Corr-/2022-2023/50, दिनांक 23-11-2023 के क्रम में।

5-प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

6-प्रबन्ध निदेशक, यूपीएलसी, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ।

7-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अनिल कुमार सागर

प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2683834/2024/00 0 -1

No. 314 /MS/GI/2024

No..1643.../MS/GI/2024 कि०प०-1

नीरज वर्मा, आईएएस
अपर सचिव एवं प्रशासक
NIRAJ VERMA, IAS
Addl. Secretary & Administrator

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग
सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि
Government of India
Ministry of Communications
Department of Telecommunications
Universal Service Obligation Fund

No. 30-705/USOF/BharatNet/O&M/28 **Dated: 09.01.2024**

Respected Sir,

The BharatNet scheme to provide broadband connectivity to all the GPs/villages is under implementation in the country in a phased manner. So far 2,08,961 GPs have been connected under the Phase-I and Phase-II of this scheme. BSNL has been nominated the agency responsible for Operation and Maintenance (O&M) and utilisation of the BharatNet network (except for Phase-II work under State-led model in eight States namely, Gujarat, Maharashtra, Andhra Pradesh, Telangana, Tamil Nadu, Orissa, Chhattisgarh and Jharkhand).

2. Recently, BSNL has awarded the work of O&M of optical fiber of the above phases to different maintenance agencies in the states/circles, and these agencies are under-taking restoration/repair work of optical cable, equipment etc.

3. In this connection, it has been brought under notice that various RoW agencies in the state are not allowing the O&M work of BharatNet and asking for fresh RoW approvals. They are also not honouring the tripartite MoU (clause 6.2) for free RoW for BharatNet work which states:

> "No RoW Charges including reinstatement charges will be levied by any State Government, their local bodies, companies or agencies as the information highway proposed to be created through National Optical Fiber Network for broadband connectivity to Panchayats is primarily for the benefit of the local communities to Panchayats and State governments."

As a result, lot of coordination and pursuance at various levels is required to be done by the maintenance agencies and by BSNL field officers. This delays the restoration work and also causes financial loss to the maintenance agencies due to idling of the resources.

4. In view of the above, you are requested to kindly issue necessary directions to all the concerned agencies to allow the restoration of BharatNet network by the maintenance agencies authorized by BSNL Circles.

With regards,

Yours sincerely,

(Niraj Verma)

Shri Durga Shanker Mishra,
Chief Secretary, Govt. of Uttar Pradesh,
Shri Lal Bahadur Shastri Bawan,
Lucknow-226001

(दुर्गा शंकर मिश्र)
मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

Copy to: CMD, BSNL, New Delhi.

26554-2/2024/00 0-1

संख्या–880/70–1–2013–81इले0/98

प्रेषक,

जी0पी0कगल
संयुक्त सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उ0प्र0 शासन।

आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनु0–1 लखनऊः दिनांक 19 सितम्बर, 2013

विषयः– प्रदेश में नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क परियोजना का कियान्वयन।

महोदय,

भारत सरकार की नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क (NOFN) परियोजना के अन्तर्गत प्रदेश में ब्रॉडबैंड कनेक्टीविटी हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर ऑप्टिकल फाइबर (OFC) केबिल बिछाये जाने है । उक्त कार्य हेतु भारत सरकार द्वारा स्पेशल परपज़ वेहिकिल के रूप में भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड (BBNL) का चयन किया गया है। उक्त परियोजना प्रदेश में कियान्वित किये जाने के संबंध में राज्य सरकार द्वारा दूरसंचार विभाग, भारत सरकार एवं भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन दिनांक 26–10–2012(प्रति संलग्न) को हस्ताक्षरित किया जा चुका है।

2– परियोजना के कियान्वयन हेतु समझौता ज्ञापन के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा अधोलिखित व्यवस्थाएं लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है:–

(1) नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क स्थापित किये जाने हेतु ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाये जाने के संबंध में विभिन्न सरकारी विभागों के स्वामित्व में पड़ने वाले भूमि की खुदाई से पूर्व विभिन्न स्तरों से अनुमति प्राप्त करने में आने वाली जटिलताओं को देखते हुए प्रदेश सरकार द्वारा भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड, जो कि प्रोजेक्ट की इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी है, को प्रदेश सरकार के अधीन विभिन्न संस्थाओं से परियोजनावधि में पुनः अनुमति न लेनी पड़े, इस

2/11

हेतु ब्लैंकेट अप्रूवल एतद्द्वारा प्रदान किया जाता है। इसके अन्तर्गत ऑप्टिकल फाइबर केबिल (OFC) बिछाने हेतु निःशुल्क अनुमति एवं अधिकार (RoW) होगा तथा कोई भी रीइन्स्टेटमेंट शुल्क नहीं लिया जायेगा।

(2) उक्त सगझौता ज्ञापन के प्रस्तर–5.2 में की गयी व्यवस्था के अनुसार ग्राम पंचायत तक ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने से सम्बन्धित समस्त कार्यवाही भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड (BBNL) द्वारा की जायेगी। भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड द्वारा रीइन्स्टेटमेंट का कार्य इस भाँति किया जाएगा कि सड़क के किनारे खोदी गयी सतह भरसक उसकी मूल स्थिति में ले आई जाए। सड़क की कटान को बचाने के लिए यथाशक्ति प्रयास किया जायेगा। पक्की सड़क को पार करने के लिए एच0डी0 अथवा हॉरिजेन्टल बोरिंग का प्रयोग किया जायेगा ताकि सड़क को होने वाली क्षति को कम से कम किया जा सकें।

(3) परियोजना के कियान्वयन हेतु भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड के साथ समन्वय के लिए आई0टी0 एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग नोडल विभाग के रूप में कार्य करेगा।

(4) चूँकि ग्राम पंचायतों तक नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क द्वारा कनेक्टीविटी प्रदान किया जाना स्थानीय जनता, ग्राम पंचायत एवं राज्य सरकार के हित में है अतः राज्य सरकार के स्थानीय निकाय, राज्य सरकार की कम्पनियों तथा एजेन्सियों द्वारा राइट ऑफ वे (Row) चार्जेज़ अधिरोपित नहीं किये जायेंगे। इसे परियोजना में राज्य सरकार का अंशदान माना जायेगा।

(5) भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड द्वारा ग्राम पंचायत कनेक्टीविटी प्रदान किये जाने हेतु स्थापित किये जाने वाले OPGW/ABSS केबिलों की स्थापना के लिए राज्य सरकार की वितरण कंपनियों /पारेषण कंपनियों द्वारा वितरण लाइनों/पारेषण लाइनों/उप पारेषण लाइनों पर शुल्क रहित राइट ऑफ वे प्रदान किया जायेगा।

(6) परियोजना से संबन्धित उपकरणों की स्थापना/उपकरणों को रखने के लिए यथाआवश्यकता शुल्क भुगतान के आधार पर ग्राम पंचायत भवन अथवा अन्य समुचित स्थान पर स्थल एवं बिजली उपलब्ध कराई जाएगी तथा ऐसे स्थानों पर भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क

2655442/2024/00 0 -1

लिमिटेड के स्टाफ अथवा प्रतिनिधि को ऑपरेशन एवं मेन्टीनेन्स के लिए अनुमति होगी।

संलग्नक यथोक्त।

भवदीय,

(जी0पी0 कमल)
संयुक्त सचिव

संख्या–880/78–1–2012 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव उ0प्र0 शासन।
2. निजी सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त उ0प्र0 शासन।
3. संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, दूरसंचार विभाग भारत सरकार
4. भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड।
5. प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0एल0सी0/यू0पी0 डेस्को।
6. गार्डफाइल।

आज्ञा से,

N. Sri

(निर्मला श्रीवास्तव)
अनु सचिव

4/11

2655442/2024/00 0 -1

संख्या-283/2022/सा0-2801/28-1-22-69सा0/2022सी-2

प्रेषक,

कामता प्रसाद सिंह,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-1

लखनऊ: दिनांक 14 सितम्बर, 2022

विषय- लोक निर्माण विभाग के स्वामित्व की सड़कों की रोड कटिंग किये जाने एवं काटी गयी सड़कों की पुनर्स्थापना/मरम्मत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक नगर विकास अनुभाग-5, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या-5033/नौ-5-2011/273सा/2011 दिनांक 09.12.2013 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा नगरीय क्षेत्रों में सीवर लाईन/पेयजल पाइप लाईन डालने हेतु काटी गयी लोक निर्माण विभाग की सड़कों के सम्बन्ध में निम्नानुसार कार्यवाही किया जाना निर्णीत हुआ है:-

(i) लोक निर्माण विभाग के स्वामित्व वाली सड़कों पर सीवर लाइन/पेयजल पाइप लाईन आदि डालने हेतु काटी गई सड़कों की पुनर्स्थापना/मरम्मत का कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जायेगा।

(ii) काटी गई सड़कों की पुनर्स्थापना के सम्बन्ध में लोक निर्माण विभाग द्वारा तैयार की गई गाईडलाइन के आधार पर कार्यदायी संस्था/उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा ऐसी काटी गई सड़क की पुनर्स्थापना हेतु आगणन तैयार किया जायेगा। ऐसे आगणनों को लोक निर्माण विभाग की सहमति से गठित किया जायेगा जिसमें काटी गई सड़क की पुनर्स्थापना हेतु धनराशि की व्यवस्था रहेगी। आगणन में उक्त धनराशि की व्यवस्था करते समय टाइमफ्रेम के अनुसार दरों में वृद्धि के बिन्दु का ध्यान रखा जायेगा। उक्त धनराशि सड़क काटने की अनुमति प्राप्त करते समय कार्यदायी संस्था द्वारा लोक निर्माण विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी तथा लोक निर्माण विभाग द्वारा उक्त धनराशि प्राप्त करने के 07 दिन के अन्दर सड़क काटने की अनुमति संबंधी अनापत्ति प्रमाण-पत्र संबंधित कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करा दिया जायेगा।

क्रमशः .....

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nov.in से सत्यापित की जा सकती है।

2- नगर विकास अनुभाग-5, उ0प्र0 शासन के उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 09.12.2013 के क्रियान्वयन में कार्यस्थलों पर आ रही कठिनाईयों के परिप्रेक्ष्य में सम्यक विचारोपरान्त लोक निर्माण विभाग की सड़कों की रोड कटिंग करने वाली कार्यदायी संस्था द्वारा किये जा रहे निर्माण कार्य हेतु आवश्यक कैश फ्लो के दृष्टिगत निम्न व्यवस्था लागू किया जाना निर्णीत हुआ है:-

(1) सरकारी संस्थानों/निगमों द्वारा काटी गई सड़कों की पुनर्स्थापना/मरम्मत का कार्य यदि रोड कटिंग करने वाली कार्यदायी संस्था द्वारा स्वयं कराया जाता है तो सड़क की कटिंग से पूर्व पुनर्स्थापना/मरम्मत हेतु आवश्यक धनराशि के समतुल्य 50 प्रतिशत धनराशि की बैंक गारंटी जमा की जायेगी। बैंक गारंटी की वैधता काटी गई सड़क की पुनर्स्थापना की सम्भावित पूर्ण होने की तिथि से कम से कम 6 माह अथवा आगामी वर्षा ऋतु की समाप्ति तक, जो भी बाद में हो, तक रखी जायेगी।

(2) बैंक गारंटी जमा कराने के पश्चात लोक निर्माण विभाग द्वारा इस शर्त के साथ रोड कटिंग की अनुमति दी जायेगी कि सम्बन्धित कार्यदायी संस्था अपने व्यय पर रोड कटिंग की मरम्मत/पुनर्स्थापना करायेगी एवं इस दौरान सड़क में होने वाली किसी भी प्रकार की टूट-फूट की मरम्मत/पुनर्स्थापना का कार्य रोड कटिंग करने वाली कार्यदायी संस्था द्वारा मार्ग को पूर्व दशा में लाने हेतु कराया जायेगा। कार्यदायी संस्था द्वारा उपर्युक्त अवधि/बैंक गारंटी की वैधता समाप्त होने से 15 दिन पूर्व संयुक्त निरीक्षण हेतु अनुरोध किया जायेगा, तदुपरान्त मार्ग का संयुक्त निरीक्षण कर पुनर्स्थापना का कार्य संतोषजनक पाये जाने पर बैंक गारंटी वापस की जायेगी, अन्यथा की स्थिति में बैंक गारंटी की वैधता अवधि लोक निर्माण विभाग द्वारा बढ़ायी जा सकेगी।

3- अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त निर्णय का तत्काल प्रभाव से कार्यान्वयन कराने हेतु प्रभावी कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

कामता प्रसाद सिंह
विशेष सचिव।

क्रमशः .....

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in में सत्यापित की जा सकती है।

2 5442/2024/00 0 -1

-3-

संख्या-283/2022/सा0-2801/23-1-22, तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0शासन।
2- निजी सचिव, मा0 मंत्री जी/मा0 राज्य मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0शासन।
3- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0शासन।
4- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग/ऊर्जा विभाग/नगर विकास विभाग/आवास एवं शहरी नियोजन विभाग/नियोजन विभाग/आई0टी0 एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग/निर्माण खंड तथा ग्रामीण अभिपूर्ति विभाग/औद्योगिक एवं अवस्थापना विभाग/उत्तर प्रदेश खाद्य एवं रसद विभाग/ग्राम्य विकास विभाग/ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग/सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग/ पंचायती राज विभाग, उ0प्र0शासन।
5- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
6- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7- मुख्य अभियंता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
8- समस्त क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0।
9- समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत/नगर पालिका परिषद, उ0प्र0।
10- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ।
11- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0राज्य सेतु निगम लि0, लखनऊ।
12- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0जल निगम, लखनऊ।
13- लोक निर्माण विभाग के समस्त अनुभाग।
14- वेबमास्टर, लोक निर्माण विभाग।
15- गार्ड फाइल

आज्ञा से,

कामता प्रसाद सिंह
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

I/355462/2023

प्रेषक,

कामता प्रसाद सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-1 लखनऊः दिनांक 25/07/2023

विषय-प्रदेश में रोड कटिंग किये जाने के संबंध में दिशा-निर्देश ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-481/एफ-21/उ0ब0/ कम्प्यूटराइजेशन/2017-18, दिनांक 15.07.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से महाप्रबन्धक, भारत संचार निगम लि0 के पत्र दिनांक 28.04.2023 के क्रम में प्रदेश में विभिन्न प्रयोजनों हेतु रोड कटिंग किये जाने के संबंध में अपनी संस्तुति/आख्या उपलब्ध करायी गयी है।

2- संज्ञानित है कि लोक निर्माण अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-283/2022/सा0-2802/23-1-2022-69 सा/20 टी0 सी0-2 दिनांक-14.09.2022 के माध्यम से नगरीय क्षेत्रों में सीवर लाईन/पेयजल पाइपलाईन डालने हेतु काटी गयी लोक निर्माण विभाग की सड़कों की पुनर्स्थापना/मरम्मत के संबंध में, आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ0प्र0 के शासनादेश सं0-880/78-1-2013-81 इले0/98, दिनांकः 19.09.2013 के माध्यम से भारत सरकार की नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क परियोजना के अन्तर्गत प्रदेश में ग्राम पंचायत स्तर पर ब्राडबैण्ड कनेक्टिविटी के संबंध में तथा नगर विकास अनुभाग-9 के शासनादेश संख्या-72/नौ-9-2018-161 ज/12, दिनांक 08.02.2018 के माध्यम से प्रदेश में विभिन्न प्रयोजनों हेतु रोड कटिंग हेतु नगर निकायों की सीमा के अन्तर्गत किसी सार्वजनिक भूमि के नीचे, ऊपर, साथ-साथ, आर-पार, अन्दर या उस पर आप्टिकल फाइबर बिछाने के उद्देश्य से दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेशों में निहित व्यवस्थाओं के अनुपालन में उत्पन्न हो रही भ्रम की स्थिति को स्पष्ट करने हेतु सम्यक विचारोपरान्त निम्नवत दिशा-निर्देश निर्गत किये जाते हैंः-

1. ग्राम पंचायत स्तर पर प्रदेश में ब्राडबैण्ड कनेक्टिविटी हेतु ऑप्टिकल फाईबर केबिल बिछाने हेतु स्पेशल पर्पज वैहिकिल के रूप में भारत ब्राडबैण्ड नेटवर्क लिमिटेड (बी0बी0एन0एल0) चयनित कार्यदायी संस्था है। ग्राम पंचायतो में

नेशनल फाईबर आप्टिकल स्थापित किये जाने हेतु बी0 बी0 एन0 एल0 द्वारा लोक निर्माण विभाग के स्वामित्व में पडने वाली भूमि की खुदाई एवं रोड की कटिंग किये जाने की दशा में आई0 टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग के शासनादेश संख्या-880/ 78-1-2013-81 इले0/98, दिनांक-19.09.2013 के प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

2. नगर निकायों की सीमा के अन्तर्गत किसी निजी क्षेत्र के लाईसेन्सधारी द्वारा तथा भारत ब्राडबैण्ड नेटवर्क लिमिटेड (बी0 बी0 एन0 एल0) द्वारा सार्वजनिक भूमि के नीचे, ऊपर, साथ-साथ, आर-पार, अन्दर या उस पर आप्टिकल फाइबर बिछाने के लिए लोक निर्माण विभाग की भूमि की खुदाई, सडक की कटिंग की जाती है अथवा भूमि के ऊपर अवसंरचना अर्थात् मोबाईल टावर स्थापित किया जाता है, तो सम्बन्धित संस्था को सरकारी भूमि की खुदाई अथवा सडक की कटिंग किये जाने की अनुमति प्रदान करने की कार्यवाही नगर विकास अनुभाग-9 के शासनादेश संख्या-72/नौ-9-2018-161 ज/12, दिनांक 08.02.2018 के प्राविधानों के अन्तर्गत की जायेगी।

3. ग्राम पंचायत तथा नगरीय क्षेत्रों में सीवर लाईन/पेयजल पाईपलाईन डालने हेतु यदि लोक निर्माण विभाग की सडकों की कटिंग की जाती है, तो रोड काटने वाली संस्था को अनुमति लोक निर्माण अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-283/2022/सा0-2801/23-1-22-69 सा0/20 टी0 सी0-2, दिनांक 14.09.2022 के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रदान की जायेगी।

4. उपरोक्त उद्देश्यों से किसी भी संस्था द्वारा यदि लोक निर्माण विभाग की सड़कों की कटिंग की जाती है तो सड़क की कटिंग करने के पूर्व सम्बन्धित संस्था को Call Before You Dig App पर सूचित करना अनिवार्य होगा।

5. उपरोक्त शासनादेशों के अन्तर्गत संस्था द्वारा सड़क/पटरी/शोल्डर/तटबंध की कटिंग करने की दशा में उक्त के पुनर्स्थापन का कार्य भी सम्बन्धित संस्था द्वारा ही लोक निर्माण विभाग की विशिष्टियों के अनुसार कराया जायेगा।

6. सम्बन्धित संस्था द्वारा सड़क की कटिंग का कार्य सड़क के ROW के अंतिम छोर पर किया जायेगा तथा तटबन्ध में कोई खुदाई (ट्रैन्च) नहीं की जायेगी।

7. ट्रेन्च के बैकफिलिंग का कार्य खोदी गयी स्थानीय मिट्टी से कदापि नही किया जायेगा। ट्रेन्च के बैकफिलिंग का कार्य विशिष्टियों के अनुसार कोर्स सैण्ड से ही कराया जायेगा ताकि पुनर्स्थापन के उपरान्त सड़क के धंसने की सम्भावना न हो। सड़क के लेपित भाग की कटिंग किये जाने की स्थिति में ट्रेन्च का पुनर्स्थापन उपर्युक्तानुसार तथा सड़क के लेपित भाग का पुनर्स्थापन सड़क की पूर्व विशिष्टियों के अनुसार कराया जायेगा।

8. पुनर्स्थापन के उपरान्त रोड कटिंग करने वाली संस्था द्वारा लोक निर्माण विभाग

के साथ संयुक्त निरीक्षण कर इस आशय का प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा कि लोक निर्माण विभाग की विशिष्टियों के अनुसार पुनर्स्थापन का कार्य पूर्ण किया गया है।

4- कृपया उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(कामता प्रसाद सिंह)
विशेष सचिव।

Digitally signed by कामता प्रसाद सिंह
Date: 25-07-2023 12:58:13
Reason: Approved

संख्या- (1)/23-1-23-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निजी सचिव, मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश शासन।
2- निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0शासन।
3- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0शासन।
4- स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0शासन।
5- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग/आई0टी0एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग/पंचायती राज विभाग/ग्राम्य विकास विभाग/ग्रामीणअभियन्त्रण विभाग/आवास एवं शहरी नियोजन विभाग/कृषि विपणन एवं विदेश व्यापार विभाग/नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग/नियोजन विभाग/सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग/पंचायाती राज विभाग, वित्त विभाग/ऊर्जा विभाग/अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0शासन।
6- प्रधान महाप्रबंधक, भारतनेट, भारत संचार निगम लिमिटेड, इन्दिरा नगर, टेलीफोन एक्सचेंज, लखनऊ को उनके पत्र दिनांक 28.04.2023 के क्रम में।
7- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0शासन।
8- निदेशक, मण्डी परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
9- मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
10- समस्त अनुभाग, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0शासन।
11- गार्डफाइल।

आज्ञा से,

(कामता प्रसाद सिंह)
विशेष सचिव।